

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 148] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 16, 1980/चैत्र 27, 1902

No. 148] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 16, 1980/CHAITRA 27, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1980

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. 257(अ) :—आयात-निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947
(1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार
निर्यात (नियन्त्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्न-
लिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियन्त्रण) छठा संशोधन आदेश, 1980 की
संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1977 में, खले सामान्य लाइसेंस-3 में क्रम संख्या 79 के सामने के कालम 4 में आई हुई वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा —

“निर्यात की अनुमति राज्य व्यापार निराम के माध्यम से है।”

[मिसिल सं. 19/1/79-ई-2 से जारी—सं. ई(सी)ओ.]

[मिसिल सं. 19/1/79-ई-2 से जारी—सं. ई(सी)ओ 1977/ए.एम.(148)]

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 15th April, 1980

EXPORT TRADE CONTROL

S.O 257(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Sixth Amendment Order, 1980.
2. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL 3, the existing entry appearing in Column 4 against S. No. 79 shall be substituted by the following :—

“Export allowed by the State Trading Corporation of India Ltd.”

[Issued from File No. 19/1/79-EI/EII—No. E(C)O, 1977/AM(148)]

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports & Exports